[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं 20/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेनवेट प्रत्यय नियम, 2017 है ।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "**सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम**" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) अभिप्रेत है ;

(ख) "**इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता**" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 की उपधारा (46) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता अभिप्रेत है ;

(ग) "**उत्पाद-शुल्क अधिनियम**" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है ;

(घ) "**छूट प्राप्त माल**" से इस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त उत्पाद योग्य माल अभिप्रेत है और इसमें वह माल सम्मिलित है जो शुल्क की "शून्य" दर से प्रभार्य है ;

(ङ) "**अंतिम उत्पाद**" इनपुट से विनिर्मित या उत्पादित उत्पाद योग्य माल से अभिप्रेत है ;

(च) "**पहला चरण व्यौहारी**" से ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित सीधे माल क्रय करता है,–

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के उपबंधों के निबंधनों में बीजक जारी के आच्छादन के अधीन विनिर्माता या उक्त विनिर्माता के डिपो से या उक्त विनिर्माता के डिपो से या किसी अन्य परिसर से जारी किया गया है या इस बीजक के अधीन इस ओर से जारी किया गया है जहां उक्त विनिर्माता की ओर से उसके द्वारा विक्रय किए गए और उसके बीजक के अन्तर्गत आते हैं ;

(ii) कोई आयातक या आयातक के डिपो से या पारेषण के परिसर से या आयातक के अभिकर्ता के परेषण से बीजक के अधीन आच्छादित है ;

(छ) "**इन पुट**" से अंतिम उत्पाद के विनिर्माता द्वारा कारखाने में उपयोग किया गया उत्पाद योग्य अभिप्रेत है किन्तु इसमें पेट्रोल के नाम से सामान्यत: ज्ञात उच्चगति डीजल तेल या मोटर स्प्रिट अपवर्जित है ;

(ज) "**जॉब कार्य**" से कर्मकार के लिए कच्ची सामग्री या प्रदाय किए गए अर्ध अंतिम माल पर प्रसंस्करण या कार्यरत अभिप्रेत है, कोई वस्तु या प्रचालन विनिर्माण समापन के परिणामस्वरूप प्रक्रिया के भाग या संपूर्ण पूरा करने के बारे में जिसे उपयुक्त प्रक्रिया के लिए आश्यक है और पद "जॉब कर्मकार" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(झ) "**अधिसूचना**" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ञ) "**व्यक्ति**" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 की उपधारा (84) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ट) "**हटाने का स्थान**" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) उत्पाद योग्य माल का उत्पादन या विनिर्माण के कारखाना या किसी अन्य स्थान या परिसर ;

(ii) भांडागार या कोई अन्य स्थान या परिसर जिसमें शुल्क संदाय के बिना निक्षेपित किए जाने के लिए उत्पाद योग्य माल को अनुज्ञा दी गई है ;

(iii) डिपो, अभिकर्ता पारेषण के परिसर या कोई अन्य स्थान या परिसर से जहां कारखाने से उनकी निकासी के पश्चात् उत्पाद योग्य माल विक्रीत किए जाते हैं ;

(ठ) "**दूसरा प्रक्रम व्यौहारी**" से ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है जो पहले प्रक्रम व्यौहारी से माल क्रय करता है ;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु उत्पाद-शुल्क अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं वहीं अर्थ होंगे जो उत्पाद-शुल्क अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है ।

3. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय–(1) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेनवेट प्रत्यय कहा गया है) के लिए विनिर्माता या निर्माता को अनुज्ञात किया जाएगा जिसको–

(क) उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के लिए चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहणीय है ;

(ख) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क ;

(ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क ;

(घ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क ;

(ङ) वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद के अतिरिक्त शुल्क, पर संदत्त–

संख्या सा.का.नि. 547(अ), तारीख 25 मार्च, 1986 तारीख 25 मार्च, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं0 214/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में भारत सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट का फायदा उपलब्धता जॉब कर्मकार द्वारा विनिर्माण मध्यवर्ती उत्पाद में उपयोग सम्मिलित करते हुए और नियत तारीख को या पश्चात् इनपुट और जुलाई 2017 की पहली तारीख को या पश्चात् कारखाने में प्राप्त इनपुट अंतिम उत्पाद विनिर्माण के संबंध में उपयोग द्वारा प्राप्त किया गया ।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अंतिम उत्पादों के विनिर्माता या निर्माता स्टाक में या प्रक्रिया में पड़े इनपुट पर संदत्त उस तारीख को जिसे उक्त विनिर्माता या निर्माता द्वारा विनिर्मित माल छूट प्राप्त या कोई माल उत्पाद योग्य प्रविरत माल उत्पाद योग्य हो जाता है, स्टाक में पड़े अंतिम उत्पादों में स्टाक या प्रक्रिया इनपुट पर पड़े संदत्त पर शुल्क केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय संदाय के लिए उपयोग किया जा सकेगा जिस पर–

(क) अंतिम उत्पाद पर उत्पाद के कोई शुल्क ; या

(ख) इनपुट पर लेने में केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के लिए बराबर रकम यदि ऐसे इनपुट, भागतः प्रसंस्कृत होने के पश्चात् इनपुट हटाए जाते हैं ;

(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के नियम 15 के उपनियम (2) के अधीन रकम :

बशर्ते कि उत्पाद-शुल्क संदाय करते समय, सेनवेट प्रत्यय उस सीमा तक या तिमाही माह के अंतिम दिन यथास्थिति, माह या तिमाही ऐसी सीमा तक उपयोग किया जाएगा :

बशर्ते कि यह और भी कि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी शुल्क के सेनवेट प्रत्यय, उसके क्लॉज़ (ब) में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक के सिवाय वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के संदाय के लिए उपयोग नहीं होगा :

बशर्ते कि यह और भी कि वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय से भिन्न उपनियम (1) में उल्लिखित किसी शुल्क का प्रत्यय केंद्रीय मूल्य वर्धित कर अंतिम उत्पादों पर उक्त उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) और उपनियम (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(i) वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क ;

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क उपर्युक्त मद (i) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क के लिए समतुल्य ;

(iii) वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद के अतिरिक्त शुल्क,

वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क स्वयं इनपुटों पर ऐसे शुल्क के संदाय के लिए अथवा विनिर्माता द्वारा विनिर्मित कोई उत्पाद, यदि ऐसे इनपुट भागतः प्रसंस्कृत होने के पश्चात् हटाया जाता है ।

4. **कतिपय मामलों में सेनवेट प्रत्यय**–(1) जब इनपुटों पर जिसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय कहा गया है, कारखाने से इस तरह हटाया जाता है, कि अंतिम उत्पादों का विनिर्माता इस तरह इनपुट की बाबत लाभ उठाएगा और नियम 9 में निर्दिष्ट बीजक के अच्छादन के अधीन इस तरह हटाया जाएगा ।

(2) यदि किसी इनपुट का मूल्य जिस पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय पूर्णतः या भागतः अपलिखत किया जाता है या जहां कोई उपाबंध लेखा बहियों में पूर्णतः या भागतः अपलिखत किया जाएगा तो विनिर्माता उक्त इनपुट के संबंध में लिए गए सेवनवेट प्रत्यय के बराबर रकम का संदाय करेगा :

बशर्ते कि उक्त इनपुट अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में तत्पश्चात् उपयोग किया जाता है, इन नियमों के उपाबंधों के अध्यधीन विनिर्माता संदत्त केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के समतुल्य रकम प्रत्यय लेने के लिए पात्र होगा ।

(3) जहां एक निर्धारिती द्वारा विनिर्मित या उत्पादित किसी माल पर, शुल्क का संदाय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के नियम 17 के अधीन विप्रेषित किए जाने के लिए शुल्क आदेश किया जाता है, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय इनपुटों पर लेने में उक्त माल के विनिर्माण या उत्पादों में उसका उपयोग प्रतिवर्ती किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1–उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन संदेय रकम, जब तक विनिर्दिष्ट अन्यथा ना हो, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय विकलन द्वारा संदत्त किया जाएगा या मार्च माह के अगले माह के पांचवे दिन को या पूर्व, मार्च माह के सिवाय, जहां ऐसा संदाय मार्च माह के 31वें दिन को या पूर्व किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2–यदि माल का विनिर्माता उपनियम उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन संदेय रकम का भुगतान करने में असफल रहता है, गलत रूप से लेने पर नियम 13 में यथा उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन संदत्त रकम केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के रूप पात्र होगा मानों व्यक्ति द्वारा संदत्त शुल्क या जिसने उपनियम (1) के अधीन ऐसा माल हटाया गया था ।

5. **छूट के मामले में सेनवेट प्रत्यय** –जहां कोई अन्य नियम या अधिसूचना के उपाबंध किसी इनपुट पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय की गैर अनुलब्धता की शर्त पर पूर्ण या भाग छूट के लिए उपबंध करता है यदि इनपुट पर संदत्त शुल्क का प्रत्यय लाभ किया गया है । माल (ऐसे माल पर शुल्क संदाय के लिए सम्यक् तारीख के पश्चात्) की निकासी के पश्चात् ऐसा प्रत्यय उत्क्रमण छूट के लिए विनिर्माता पात्र को देगा ।

6. **सेनवेट अनुज्ञा के लिए शर्तें**–(1) इनपुट की बाबत सेनवेट, विनिर्माता के कारखाने में जॉब कर्मकार के परिसरों में प्राप्ति पर तत्काल ले सकेगा, माल के मामले में विनिर्माता के निर्देश पर जॉब कर्मकार के लिए सीधे भेजे जाते हैं :

बशर्ते कि विनिर्माता नियम **11** के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई दस्तावेज जारी करने की तारीख के एक वर्ष के पश्चात् केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लेगा ।

(2) (क) इनपुटों पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे जैसे इनपुट या जॉब कर्मकार के लिए भागतः प्रसंस्कृत भेजे जाते हैं और तत्पश्चात् अन्य जॉब कर्मकार को भेजा जाता है और उसी तरह, और प्रसंस्करण परीक्षण, पुनःसुधार के लिए, या मध्यवर्ती माल आवश्यक के लिए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए अन्य प्रयोजनों के लिए भेजे जाते हैं और केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय लेने के लिए विनिर्माता द्वारा अभिलेख, चालान या मेमो या कोई अन्य दस्तावेज से स्थापित किया जाता है कि इनपुट या उससे उत्पादित उत्पाद, कारखाना से उन्हें भेजने के लिए एक सौ अस्सी दिन के भीतर विनिर्माता द्वारा पीछे प्राप्त किया गया था :

परन्तु प्रत्यय भी अनुज्ञात किया जाएगा यदि विनिर्माता के परिसरों के लिए पहले उन्हें लाया गया के बिना जॉब कर्मकार केलिए सीधे भेजा जाता है और ऐसे मामले में, जॉब कर्मकार द्वारा इनपुटों की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि से गणना की जाएगी ।

(ख) विनिर्माता द्वारा उपखंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर यदि पिछले इनपुट प्राप्त नहीं हुए हैं, विनिर्माता केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय या अन्यथा विकलन द्वारा इनपुटों के लिए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय हेतु समतुल्य रकम देगा किन्तु विनिर्माता पुनः केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय ले सकेगा जब कारखाने में पीछे से प्राप्त किए जाते हैं ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के सहायक आयुक्त अंतिम उत्पादों के विनिर्माता के कारखाने पर उसके पास समस्त अधिकारिता है जिसने आदेश द्वारा जॉब कर्मकार के लिए उसके कारखाने वाह्य इनपुटों या भागतः प्रसंस्कृत किया जाता है जिसे तीन वर्षों के लिए ऐसे इनपुटों भागतः प्रसंस्कृत इनपुट विधिमान्य होगा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो जिसका शुल्क में रीति सहित राजस्व के हित में अधिरोपित किया जा सके, यदि उद्ग्रहणीय हो, संदत्त, जॉब कर्मकार के परिसरों से स्पष्ट किए जाने के लिए अंतिम उत्पाद अनुज्ञा को संदत्त के लिए किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 1–इस नियम में उल्लिखित रकम जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के विकलन द्वारा माल के विनिर्माता द्वारा संदत्त किया जाएगा या अन्यथा

निम्नलिखित माह के पांचवे दिन को या पूर्व, मार्च के सिवाय संदत्त किया जाएगा, जब ऐसा संदाय मार्च के माह के 31वें दिन को या पूर्व किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2–इस नियम के अधीन रकम संदाय के लिए असफल रहता है, गलत लेने पर केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 16 में यथा उपबंधित रीति में वसूल करेगा ।

स्पष्टीकरण 3–विनिर्माता के मामले में जो वित्तीय वर्ष में निकासियों के मूल्य पर आधारित अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करता है **"निम्नलिखित माह"** पद और **"मार्च का माह"** स्पष्टीकरण में आने वाले क्रमशः **"निम्नलिखित तिमाही"** और **"मार्च के माह के साथ अंतिम तिमाही"** पढ़ा जाएगा ।

7. **सेनवेट प्रत्यय का प्रतिदाय**–(1) कोई विनिर्माता जो अंतिम उत्पाद या बंधपत्र या उपक्रम का पत्र के अधीन शुल्क के संदाय के बिना निर्यात के लिए कोई मध्यवर्ती उत्पाद स्पष्ट करता है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड द्वारा जो विनिर्दिष्ट कर सके, प्रक्रिया, रक्षोपाय, शर्तें और परिसीमाएं के अधीन निम्नलिखित फार्मूला द्वारा जो अवधारित किया जा सके, सेनवेट प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञात किया जाएगा :

$$\text{प्रतिदाय रकम} = \frac{\text{(माल का निर्यात आवर्त)}}{\text{कुल आवर्त}} \times \text{शुद्ध सेनवेट प्रत्यय}$$

जहां,–

(क) **"प्रतिदाय रकम"** से अधिकतम प्रतिदाय से अभिप्रेत है जो कि अनुज्ञेय है ;

(ख) **"शुद्ध सेनवेट प्रत्यय प्रत्यय"** से सुसंगत अवधि के दौरान नियम 3 के उपनियम (4ख) के निबंधनों में प्रतिवर्तित रकम द्वारा कमी की गई विनिर्माता द्वारा इनपुटों पर लाभ्य कुल केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय अभिप्रेत है;

(ग) **"माल का निर्यात आवर्त"** सुसंगत अवधि के दौरान निर्बाधित अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद के मूल्य से अभिप्रेत है और बंधपत्र या उपक्रम का पत्र के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संदाय के बिना निर्यातित किया जाता है ;

(घ) **"कुल आवर्त"** मूल्य के कुल राशि से अभिप्रेत है, जो मूल्य के–

(i) माल, शुल्क योग्य माल और उत्पाद-शुल्क योग्य माल निर्यातित सहित सुसंगत अवधि के दौरान निर्बाधित उत्पाद-शुल्क योग्य माल ;

(ii) नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन जैसे समान सभी इनपुटों को बीजक के प्रति हटाए जाते हैं अवधि के दौरान जिसके लिए दावा फाइल किया गया है ।

(2) प्रत्यय का दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि विनिर्माता यथास्थिति, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर वापसी नियम, 1995 या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 या उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के अधीन शुल्क में रिबेट दावा ऐसे शुल्क की बाबत अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1–इस नियम के प्रयोजनों के लिए–

(1) **"**निर्यात माल**"** से ऐसा माल अभिप्रेत है जो भारत से बाह्य स्थान के लिए भारत से बाहर ले जाया जाना है ;

(2) **"**सुसंगत अवधि**"** से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा फाइल किया गया है ।

8. अंतिम उत्पादों के विनिर्माता या निर्माता की बाध्यता– (1) सेनवेट प्रत्यय इनपुट की ऐसी मात्रा को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो कि छूट प्राप्त माल विनिर्माता के संबंध में या उसमें उपयोग किया जाता है और हटाने के स्थान तक उनकी निकासी और यथास्थिति, उपनियम (2) या उपनियम (3) के उपबंधों के निबंधनों में विनिर्माता द्वारा परिभाषित और संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए नियम 2 के खंड (घ) और खंड (ङ) में यथा परिभाषित छूट प्राप्त माल और अंतिम माल कारखाने से प्रतफल के लिए निर्बाधित गैर-उत्पाद-शुल्क माल सम्मिलित होगा ।

स्पष्टीकरण 2- इस नियम के प्रयोजनों के लिए गैर उत्पाद शुल्कों माल का मूल्य बीजक मूल्य होगा और जहां ऐसे बीजक मूल्य उपलब्ध नहीं है वहां मूल्य को उत्पाद-शुल्क अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट मूल्यांकन के सिद्धांतों से संगत उपयोग किए जाने वाले युक्तियुक्त अर्थों द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) कोई विनिर्माता, अनन्य रूप से ऐसे छूट प्राप्त माल का, उन्हें हटाए जाने के स्थान तक उनकी निकासी के लिए विनिर्माण करता है, इनपुट के प्रत्यय की संपूर्ण रकम का संदाय करेगा और वस्तुत: किन्हीं इनपुटों के प्रत्यय के लिए पात्र नहीं होगा।

(3)(क) ऐसा विनिर्माता जो दो प्रकार के माल का विनिर्माण करता है, अर्थात् :--

(i) गैर- छूट प्राप्त माल को हटाने

(ii) छूट प्राप्त माल को हटाने

उसको लागू निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का अनुसरण करेगा, अर्थातः-

(i) उस अवधि के दौरान जिसमें इनपुट से संबंधित संदाय के अधिकतम कुल आरंभिक अतिशेष पर छूट प्राप्त माल के मूल पर छह प्रतिशत के बराबर रकम का संदाय करेगा।

(ii) उपनियम (4) के अधीन यथा अवधारित रकम की संदायः

परन्तु यह कि कोई उत्पादःशुल्क छूट प्राप्त माल की बाबत संदत्त किया गया है उसे खंड (i) के अधीन संदाय रकम से घटाया जाएगाः

स्पष्टीकरण 1- यदि माल का विनिर्माता इस नियम के अधीन किसी विकल्प का उपभोग करता है तो वह उसके द्वारा विनिर्मित सभी छूट प्राप्त माल के लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करेगा और ऐसा विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2- कोई सेनवेट प्रत्यय किन्हीं माल की बाबत संदत्त शुल्क पर लिए जाएंगे जो इनपुट नहीं हैं।

स्पष्टीकरण 3- इस उपनियम और उप नियम (4) के प्रयोजन के लिएः-

(क) "गैर-छूट प्राप्त माल को हटाना" से विनिर्मित छूट प्राप्त माल से अपवर्जित अंतिम उत्पादों और निराकरण-स्थान तक साफ किया जाना अभिप्रेत हैः

(ख) "छूट प्राप्त माल को हटाना" से विनिर्मित छूट प्राप्त माल और निराकरण स्थान तक साफ किया जाना अभिप्रेत हैः

(4) उपधारा (3)के खंड (ii) के अधीन संदत्त की जाने वाली अपेक्षित रकम का अवधारण के लिए माल के विनिर्माता निम्नलिखित प्रक्रिया और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) माल के विनिर्माता, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीक्षक को, लिखित में निम्नलिखित विशिष्टियां सूचित करेगा अर्थात् :--

(i) माल के विनिर्माता का नाम, पत्ता और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ;

(ii) ऐसी तारीख जिससे इस खंड के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है :

(iii) अपसारित गए छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अनन्य रुप से या के संबंध में प्रयुक्त इनपुट का वर्णन और ऐसे छूट प्राप्त माल का वर्णनः

(iv) अपसारित किए गए गैर छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अनन्य रुप से या के संबंध में प्रयुक्त इनपुट का वर्णन और हटाए गए ऐसे गैर छूट प्राप्त माल का वर्णनः

(v) इस शर्त के अधीन विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को अतिशेष में पड़े इनपुट के केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय प्रत्ययः

(ख) अंतिम उत्पादों के विनिर्माता, सेनवेट प्रत्यय के विनिर्माता संदत्त की जान वाली अपेक्षित प्रत्यय का अवधारण करेगा जिसमें से मास के दौरान लिए गए इनपुट को निम्नलिखित आनुक्रमिक उपायों से इस कुल प्रत्यय को "टी" के रुप में सूचित किया गया है और उपखंड (i) और उपखंड (iv) के अधीन अवधारित रकमों को अनंतिम रुप से प्रत्येक मास दिया जाएगा, अर्थात् :--

(i) अपसारित किए गए छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अनन्य रुप से या के संबंध में प्रयुक्त इनपुट से आरोप योग्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम, जिसे अपात्र प्रत्यय कहा गया है "ए " के रुप में सूचित किया गया है और उसे संदत्त किया जाएगाः

(ii) अपसारित गए गैर छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अनन्य रुप से या के संबंध में प्रयुक्त इनपुट से आरोपण योग्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम जिसे पात्र प्रत्यय कहा जाएगा "बी" के रुप में सूचित किया गया है और उसे संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन प्रत्यय के आरोप के पश्चात् लाए गए प्रत्यय जिसे सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, सी के रुप में सूचित किया गया है और उसे निम्नलिखित रुप में संगणित की गई है, अर्थात् :-- सी=टी-(ए+बी);

स्पष्टीकरण- जहां संपूर्ण प्रत्यय उपखंड (i) और उपखंड (ii) अर्थात अपात्र प्रत्यय या पात्र प्रत्यय के अधीन आरोपित किया गया है वहां और आरोपण के लिए सामान्य शेष प्रत्यय नहीं होगा।

(iv) अपसारित गए छूट प्राप्त माल के विषय में आरोप योग्य सामान्य प्रत्यय की रकम, जिसे अपात्र सामान्य प्रत्यय कहा गया है "डी" के रुप में सूचित किया गया है और निम्नलिखित रुप में संगणित की जाएगी और संदत्त किया जाएगा डी=(ई/एफ) x सी;

यहाँ "ई" पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष वाले के दौरान अपसारित छूट प्राप्त माल के मूल्य का कुल जोड़ है

यहाँ "एफ" निम्नलिखित का कुल जोड़ है

(क) अपसारित गैर छूट प्राप्त माल का मूल्य; और

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपसारित छूट प्राप्त माल का मूल्यः

परन्तु यह कि जहाँ कोई अंतिम उत्पाद पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विनिर्मित नहीं किए गए थे वहाँ अपात्र सामान्य प्रत्यय से आरोप योग्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय प्रत्यय, सामान्य प्रत्यय का पचास प्रतिशत समझा जाएगाः

(v) सामान्य प्रत्यय का स्मरणपत्र को पात्र सामान्य प्रत्यय कहा गया है और उसे "जी" के रुप में सूचित किया गया है, जहाँ,--

जी= सी-डी.

स्पष्टीकरणः- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषणा किया जाता है कि कुल प्रत्यय "ट" के बिना जो ए बी डी और जी का कुल जोड़ है, विनिर्माता अनंतिम रुप से आरोप के योग्य होगा और बी और जी के शेष प्रत्यय अर्थात्, पात्र प्रत्यय और पात्र सामान्य प्रत्यय अनंतिम रुप से ए और डी के प्रत्यय अर्थात्, अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय की रकम देगा।

(vi) जहाँ विनिर्माता उपखंड (i) और उपखंड (iv) के अधीन अवधारित रकम देने में असफल हो जाता है वहाँ वह पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ऐसे रकम की संदाय की तारीख तक संदाय की तारीख से ब्याज देने के लिए की दायी होगा।

(ग) विनिर्माता संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अवसारित छूट प्राप्त माल के आरोपण योग्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम अवधारित करेगा जिनमें से टी (वार्षिक) के रुप में सूचित कुल प्रत्यय को निम्नलिखित रीति में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान दिया जाएगा, अर्थातः-

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रुप से इस प्रकार प्रयुक्त इनपुट के आधार पर अवसारित छूट प्राप्त माल का विनिर्माण अनन्य रुप से या के संबंध में प्रयुक्त इनपुट के आरोपण योग्य केन्द्रीय मूल्यवर्धि्त कर प्रत्यय को वार्षिक अपात्र प्रत्यय कहा गया है और उसे ए वार्षिक के रुप में सूचित किया गया है।

(ii) वास्तविक रुप से इस प्रकार प्रयुक्त इनपुट के आधार पर अवसारित गैर छूट प्राप्त माल का विनिर्माण अनन्य रुप से या के संबंध में प्रयुक्त इनपुट के आरोपण योग्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय को वार्षिक पात्र प्रत्यय कहा गया है और उसे बी (वार्षिक) के रुप में सूचित किया गया है।

(iii) और आरोपण के लिए बाएँ सामान्य प्रत्यय सी (वार्षिक) के रुप में सूचित किया गया है और उसे निम्नलिखित रुप में संगणित की जाएगी, अर्थात्:--

सी (वार्षिक)=टी (वार्षिक)-[ए(वार्षिक)+बी(वार्षिक];

(iv) हटाए गए छूट प्राप्त माल के विषय में आरोपण योग्य सामान्य प्रत्यय को अपात्र सामान्य प्रत्यय कहा गया है, जिसे डी (वार्षिक) द्वारा सूचित किया गया है और उसे निम्नलिखित प्रकार से संगणित की जाएगी.

डी (वार्षिक)- (एच/आई) X सी(वार्षिक)

यहाँ एच वित्तीय वर्ष के दौरान हटाए गए छूट प्राप्त माल के मूल्य का कुल जोड़ है।

यहाँ वित्तीय वर्ष के दौरान आई निम्नलिखित का कुल जोड़ है

(क) अपसारित गैर छूट प्राप्त माल का मूल्य, और

(ख) अपसारित छूट प्राप्त माल का मूल्यः

(घ) विनिर्माता संपूर्ण वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक अपात्र प्रत्यय और वार्षिक अपात्र सामान्य प्रत्यय की कुल रकम तथा अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय की कुल रकम के बीच के अंतर के बराबर की रकम उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 जून को या इससे पहले देगा अर्थात्

[{ए (वार्षिक)+ डी(वार्षिक)}- {(ए+डी) संपूर्ण वर्ष के लिए)}] कुल यहाँ पूर्व के दोनों रकमों से बाद की रकम अधिक है।

(ङ) जहाँ खंड (घ) के अधीन के रकम उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 जून तक संदत्त नहीं किया गया हो वहाँ माल के विनिर्माता खंड (घ) के अधीन इस प्रकार संदत्त प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त ऐसे रकम की संदाय की तारीख तक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के 30 जून से पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की ऐसी रकम को देने के लिए दायी होगा ।

(च) विनिर्माता वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण वर्ष के दौरान संदत्त अपात्र प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय के कुल योग के कुल रकम के बीच के अंतर के बराबर रकम देगा और वार्षिक अपात्र प्रत्यय और वार्षिक अपात्र सामान्य प्रत्यय अर्थात् पूर्व के दोनों रकमों से बाद की रकम अधिक है [संपूर्ण वर्ष के लिए कुल योग (ए-डी)-ए {(वार्षिक)+डी (वार्षिक)}]

(छ) माल के विनिर्माता निम्नलिखित विशिष्टियाँ खंड(घ),(ङ)और (च) के उपबंधों के अनुसार संदाय या समायोजन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शूल्क के अधिकारिता वाले अधीक्षक को सूचना देगा अर्थात् :--

(i) संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मासिक वार पात्र प्रत्यय, अपात्र, पात्र सामान्य प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय के विषय में प्रत्यय आरोपण के ब्यौरे को खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार अवधारित करेगाः

(ii) संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए पात्र प्रत्यय, अपात्र प्रत्यय, पात्र सामान्य प्रत्यय और अपात्र सामान्य प्रत्यय के वार्षिक रुप से आरोपण केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय प्रत्य को खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार अवधारित करेगा।

(iii) खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार, यदि कोई हो, रकम की संदाय की तारीख सहित रकम अवधारित करेगा और देगा

(iv) संदाय या संदत्त, यदि कोई हो, खंड (ङ) के अनुसार अवधारित करेगा, और

(v) खंड (च) के उपबंधों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रत्यय की प्राप्ति की तारीख सहित प्रत्यय अवधारित करेगा और देगा।

(5) जहाँ कोई विनिर्माता उपनियम (3) के अधीन विकल्प का प्रयोग और उपनियम (4) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करने में असफल होता है तो अंतर्वलित सेनवेट प्रत्यय की रकम पर आधारित न्यायनिर्णयन मामले सक्षम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए ऐसे विनिर्माता को अनुमति दे सकेगा और उसके संदाय की तारीख तक ऐसे प्रत्येक मास के लिए रकम की संदाय के लिए देय तारीख से पंद्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित ब्याज सहित उपनियम (4) के खंड (ग) के निबंधनों के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्येक मास के लिए संगणित उपनियम (3) के खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम को देगा।

(6) जहाँ इस शर्त के आधार पर कोई छूट दी गई है कि इनपुटों पर कोई सेनवेट प्रत्यय नहीं लिया जाएगा वहाँ उपनियम (3) के अधीन किसी रकम के संदाय के किसी छूट सम्बधी अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लिया गया केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय समझा जाएगा

स्पष्टीकरण I- उपनियम (3) और (4) के प्रयोजन के लिए "मूल्य" का वही अर्थ यथासमनुदेशित होगा जो उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3, 4 या 4क के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों में उसका है

स्पष्टीकरण ॥- उपनियम (3) और (4) में उल्लिखित रकम तब तक विनिर्दिष्ट नहीं की जाएगी जब तक कि विकलन वाले सेनवेट प्रत्यय द्वारा मालों के विनिर्माता द्वारा संदत्त नहीं किया जाता या मार्च मास के सिवाय अगले मास की 5 तारीख को या उससे पहले तब ऐसे संदाय मार्च मास की 31 तारीख को या उससे पहले किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण ॥I- यदि मालों का विनिर्माता उपनियम (3) और (4) के अधीन रकम संदाय करने में असफल रहता है तो अन्यपूर्ण दिए गए सेनवेट प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 16 में यथाउपबंधित रीति में उसकी वसूली की जाएगी ।

स्पष्टीकरण IV- ऐसे विनिर्माता की दशा में जो किसी वित्तीय वर्ष में निकासी मूल्य पर आधारित अधिसूचना के अधीन छूट का उपभोग किया है उपनियम (3) और (4) के अधीन उद्भूत "आगामी मास" और "मार्च मास" शब्दों का क्रमश: मार्च के मास से समाप्त होने वाले तिमाही को "आगामी तिमाही और" के रूप में पढ़ा जाएगा ।

(4) उपनियम, (1), (2) और (3) के उपबंध शुल्क के संदाय के बिना हटाए गए उत्पाद-शुल्कयोग्य मालों की दशा में लागू नहीं होगा यदि—

(i) उनके प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के किसी यूनिट की सफाई या किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास के लिए; या

(ii) शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम की सफाई; या

(iii) उनके पदीय उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से की गई पूर्ति या उनके द्वारा विधिक परियोजनाओं को की गई पूर्ति को जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-108/95 तारीख 28 अगस्त, 1995 सं. सां॰का॰नि॰ 602 (अ), तारीख 28 अगस्त, 1995 के अधीन शुल्क से छूट उपलब्ध है; या

(iv) अधिसूचना सं॰ 12/2012-सीई, तारीख 17 मार्च, 2012 सं॰ सा॰का॰नि॰ 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 के उपबंधों के निबंधनों में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय मिशन या कैरियर कौंसलय कार्यालय या राजनयिक अभिकर्ता के उपयोग के लिए की गई पूर्ति; या

(v) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के उपबंधों के निबंधनों में बंधपत्र के अधीन निर्यात के लिए की गई निकासी ।

9. विनिर्माता के भांडागार द्वारा इनपुट के संबंध में प्रत्यय का वितरण :-- (1) ऐसा विनिर्माता जिसके पास एक या दो फैक्टी है उक्त विनिर्माताके किसी भांडागार द्वारा जारी बीजक की आड़ में

प्राप्त इनपुट के संबंध में किए गए प्रत्यय को अनुज्ञान करेगा जो ऐसे इनपुट को क्रय करने के संबंध में नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज के भाड़ में इनपुट प्राप्त होते हैं ।

(2) इन नियमों के उपबंधों या उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए अन्य नियम जो प्रथम प्रक्रम के व्यवहारी या द्वितीय प्रक्रम के व्यवहारी को लागु होता है, यथापरिवर्तन सहित, विनिर्माता के भांडागार को लागू होगा ।

10. विनिर्माता के कारखाने का इनपुट आउटपुट का भंडारण- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के ऐसे उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ऐसे सहायक आयुक्त, यथास्थिति, जिनकी अधिकारिता में आपवादिक परिस्थितियों में अंतिम उत्पादों के विनिर्माण का कारखाना है मालों की प्रकृतिको और ऐसे विनिर्माता के परिसर में भंडारण स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा सेनवेट प्रत्यय की बाबत इनपुट भंडार को विनिर्माता ऐसी सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए कारखाना के बाहर रखनेके लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

परन्तु यह कि जहां ऐसा इनपुट को किसी और कारण से इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति में उपयोग नहीं किया जाता है वहां अंतिम उत्पादों के विनिर्माता ऐसे इनपुट की बाबत उपयोग किए गए प्रत्यय की तुलना में बराबर रकम देगा ।

11. दस्तावेज और खाते-(1) सेनवेट प्रत्यय निम्नलिखित किन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विनिर्माण द्वारा दिया जाएगा, अर्थात् :--

(क) जारी बीजक पर

(i) बीजक की निकासी के लिए विनिर्माता

(I) ऐसे इनपुट के लिए जो उक्त विनिर्माता के पारेषण एजेंट के उसके कारखाना या डिपो में या परिसरों से या उसके अन्य परिसरोंमें जिससे उक्त विनिर्माता द्वारा या उसके निमित्त माल खरीदे गए हैं ;

(II) ऐसे इनपुट;

(ii) ऐसे आयातकर्ता;

(iii) ऐसा आयातकर्ता जो उक्त आयातकर्ता के पारेषण एजेंट के उसके डिपो से या परिसरों से, यदि वह, यथास्थिति उक्त डिपो या परिसर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के निबंधनों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है;

(iv) एक प्रथम व्यवहारी या एक द्वितीय व्यवहारी जैसा कि मामला हो ; या

(ख) उक्त विनिर्माण या आयातकर्ता के पारेषण एजेंट अपने कारखाना या डिपो से या परिसर से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार इनपुटों के विनिर्माण या आयातकर्ता द्वारा कोई अनुपूरक बीजक जारी करता है या किसी अन्य परिसर से जहां से उक्त विनिर्माता या आयतकर्ता द्वारा या उसके निमित्त माल खरीदे गए हैं, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुद्ध की अतिरिक्त रकम की दशा में, सिवाय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के या शुल्क के संदाय का अपवंयन करने की आशय के अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के कवट के कारण किसी अनुद्ग्रहण या कम उद्ग्रहण, दुरमिसंधि या जानबुझ कर किया गया कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाया गया या उल्लंघन के उद्देश्य से इनपुट के विनिर्माता या आयातकर्ता से वसूल किए जाने योग्य शुल्क के अतिरिक्त रकम के, संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण.- शंकाओंको दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुपूरक बीजक में चालान या उद्ग्रहीत अतिरिक्त शुल्क के अतिरिक्त रकम का कोई अन्य समरुप साक्ष्यिक संदाय ; या

(ग) प्रवेश पत्र ;या

(घ) विदेशी डाक घर के माध्यम से आयातित माल के संबंध में सीमा शुल्क का अंकक, या यथास्थिति प्राधिकृत कुरियर सीमा शुल्क का प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क विमान पत्तन का भार साधक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र:

परंतु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त सीमा शुल्क प्रत्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि बीजक या अनुपूरक बीजक, यथास्थिति इस प्रभाव को उपदर्शित करते हुए वहन करता है कि उक्त अतिरिक्त शुल्क ग्राह्य नहीं होगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई भी सेनवेट प्रत्यय नहीं लिया जाएगा जब तक सभी विवरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के अधीन वर्णित नहीं है या उक्त दस्तावेज में नहीं हैं :

परंतु यदि उक्त दस्तावेज सभी विवरण अंतर्विष्ट नहीं करता है, बल्कि संदत्त शुल्क का ब्यौरा, माल का वर्णन, निर्धारणीय मूल्य, बीजक जारी किए गए व्यक्ति का केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकृत संख्या, कारखाना या भण्डागार, प्रथम या द्वितीय चरण व्यावहारी के परिसर, केन्द्रीय उत्पाद का उपायुक्त, या केन्द्रीय उत्पाद का सहायक आयुक्त का नाम और पता, यथास्थिति उसके ब्यौरे उक्त दस्तावेज द्वारा आने वाले माल को प्राप्त किया है या प्रापक के लेखा बही में लेखा किया गया है, उसे सेनवेट कर प्रत्यय की अनुमति दी जा सकेगी ।

(3) प्रथम स्तर व्यावहारी या द्वितीय स्तर व्यावहारी से क्रय निवेश के संबंध में सेनवेट प्रत्यय की अनुमति दी जाएगी, यदि उक्त प्रथम स्तर व्यवहारी या द्वितीय स्तर व्यवहारी यथास्थिति, तथ्यों को निर्दिष्ट करते हुए अभिलेख बनाते हुए कि स्टाक से निवेश का प्रदाय किया गया था, जिसे उक्त निवेश के निर्माता द्वारा शुल्क संदत्त किया गया था और केवल उक्त शुल्क की रकम पूर्व दर के आधार पर उसके द्वारा जारी किए गए बीजक में उपदर्शित किया गया है :

परंतु इस उप-नियम के प्रावधान आयात-कर्ता को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा, जो बीजक जारी करता है, जिसका सेनवेट प्रत्यय प्राप्त किया जा सकता है ।

(4) अंतिम उत्पाद का विनिर्माता प्राप्ति, निपटान, खपत और निवेश की सूची के लिए उचित अभिलेख सुरक्षित रखना होगा. जिसमें मूल्य, संदत्त शुल्क. लिया गया सी ई एन वीए टी प्रत्यय और उपयोग से संबंधित सुसंगत सूचना, वह व्यक्ति जिससे निवेश उपाप्त किया गया है उसे अभिलोपित किया जाएगा और सेनवेट प्रत्यय की ग्राह्यता से संबंधित सबूत का भार उस विनिर्माता के ऊपर होगा, जो उक्त प्रत्यय प्राप्त कर रहा है ।

(5) अंतिम उत्पाद का विनिर्माता प्रत्येक माह के अंत से दस दिनों के भीतर, विशिष्ट प्ररुप में मासिक विवरणी बोर्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां विनिर्माता वित्तीय वर्ष में कीमत या निकासी की मात्रा पर आधारित अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त कर रहा है, उसे विशिष्ट प्ररुप में तिमाही अधिसूचना के माध्यम से, विवरणी से संबंधित तिमाही के अंत से दस दिन के भीतर बोर्ड द्वारा विवरणी फाईल करनी होगी ।

(6) प्रथम स्तर व्यवहारी या द्वितीय स्तर व्यवहारी या रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता, जैसा भी मामला हो, बोर्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट प्ररुप में विवरणी को केन्द्रीय उत्पाद अधीक्षक को वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम से पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा :

परंतु प्रथम स्तर व्यवहारी या द्वितीय स्तर व्यवहारी या रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता, यथास्थिति, इलैक्ट्रानिक माध्यम से उक्त विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

12. वार्षिक विवरणी.- (1) अंतिम उत्पाद का विनिर्माता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी उत्तरवर्ती वर्ष के 30 नवम्बर को बोर्ड द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट प्ररुप में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के नियम 12 के प्रावधानों में, जैसा कि वे वार्षिक विवरणी से संबंधित है. यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियम के अधीन भरा गया अपेक्षित वार्षिक विवरणी पर लागू होगा ।

13. सेनवेट प्रत्यय का अंतरण.-(1) यदि अंतिम उत्पाद का विनिर्माता अपने कारखाने को दूसरे स्थल पर स्थानांतरित करता है या स्वामित्व के परिवर्तन के कारण कारखाने का स्थानांतरण किया गया है या विक्रय, विलय, समामेलन, पट्टा उक्त कारखाने के दायित्वों के अंतरण के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ संयुक्त उद्यम का अंतरण किया जाता है, तब विनिर्माता को उक्त अंतरण, विक्रय, विलय, पट्टा या कारखाने के समामेलन के लिए अनुप्रयुक्त पड़े हुए सेनवेट प्रत्यय के अंतरण की अनुमति दी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन सेनवेट प्रत्यय का अंतरण की अनुमति केवल तब होगी जब वह प्रक्रिया में हो या उसी प्रकार के निवेश का स्टाक हो, जो कारखाने के साथ अंतरित किया गया हो या नये स्थल का कारबार परिसर हो या स्वामित्व हो और निवेश, जिसके प्रत्यय का सम्यक लेखा किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद का उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद का सहायक आयुक्त यथास्थिति, संतुष्ट हो ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन सेनवेट प्रत्यय का अंतरण, केन्द्रीय उत्पाद के उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद के सहायक आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अनुमति दी जाएगी :

परंतु अवधि, जो उप-नियम में विनिर्दिष्ट है, उचित कारण को दिखाये जाने पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित किए जाने पर, केन्द्रीय उत्पाद के प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त द्वारा, यथास्थिति, आगे की अवधि के लिए, जो छः माह से अधिक का नहीं होगा, बढ़ा सकेगा ।

14. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय का अंतरण.- (1) अंतिम उत्पाद का विनिर्माता या निर्माता, जिसके पास एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत परिसर हैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन साधारण स्थायी खाता संख्या के आधार पर प्राप्त किए गए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए गए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त शुल्क का अप्रयुक्त सेनवेट प्रत्यय का अंतरण किया जा सकेगा, प्रत्येक तिमाही के अंत में उनमें से उसके किसी एक खाली पड़े रजिस्ट्रीकृत परिसर, उसके दूसरे रजिस्ट्रीकृत परिसर द्वारा -

(i) नियम 11 के अधीन अनुरक्षित दस्तावेजों में उक्त अंतरण के लिए प्रविष्टि करना;

(ii) अंतरण चालान जारी करना जिसमें रजिस्ट्रीकृत संख्या, रजिस्ट्रीकृत परिसर का नाम और पता अंतरित किए गए प्रत्यय या उक्त प्रत्यय की प्राप्ति, अंतरित किए गए प्रत्यय की रकम और खंड (i) में उल्लिखित उक्त प्रविष्टि का विवरण,

और उक्त प्राप्तिकर्ता के परिसर, अंतरण चालान के आधार पर सेनवेट प्रत्यय ले सकेंगे ।

विनिर्माता या निर्माता, जैसा कि इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट है, रजिस्ट्रीकृत परिसर के अंतरण और प्राप्ति के संबंध में पृथकतः मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

15. संक्रमणकालीन प्रावधान- (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत है केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अंतर्गत प्राप्त संपूर्ण प्रत्यय को, जो कि 1 जुलाई, 2017 के तत्काल पूर्व समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अध्याय 20 के अनुसार और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अपने इलेक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में अंतरित कर सकता है और ऐसे किसी भी सेनवेट प्रत्यय को, जिसका इस तरह अंतरण नहीं किया जा सकता है तब तक सेनवेट प्रत्यय के रूप में अपने पास नहीं रख सकता है जब तक कि इन नियमों के अनुसार ऐसा करने की उसे अनुमति न हो।

(2)(क) इन नियमों में निहित किन्हीं भी बातों के बावजूद, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, जिससे कि उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना जरूरी नहीं था के बारे में यह माना जाएगा कि उसके पास ऐसा कागजात है जिससे कि यह सिद्ध हो कि शुल्क का भुगतान हुआ है, यदि ऐसे विशेष वस्तु का भी निर्माता जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था ने उसको प्रत्यय अंतरण कागजात जारी किया है, जोकि उसके द्वारा 1 जुलाई, 2017 को अपने भंडार में रखे ऐसे विशेष वस्तु से संबंधित है, जिसके लिए उसके पास ऐसा कोई बीजक नहीं था जिससे यह प्रकट हो कि शुल्क का भुगतान किया गया है।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रत्यय का अंतरित दस्तावेज कुछ शर्तों की प्रक्रिया और सुरक्षा जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के अधीन विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.- उप-नियम (2) के उद्धेश्यों के लिए "विनिर्दिष्ट माल" का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसका मूल्य प्रति मद के लिए पच्चीस हजार रुपए से अधिक है और जो विनिर्माता या मूल विनिर्माता का ब्रांड नाम धारण करता है और जो एक भिन्न संख्या यथा कार का चेसिस/ इंजिन संख्या द्वारा पहचान योग्य हो ।

16. दोषपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया या गलती से प्रतिदाय किए गए केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय की वसूली–(1) जहां सेनवेट प्रत्यय दोषपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है तो उसे विनिर्माता से वसूल किया जाएगा और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 अ के उपबंध उक्त वसूली के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ;

(2) जहां सेनवेट प्रत्यय दोषपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है या प्रयोग कर लिया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है तो वह विनिर्माता से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा और उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 अ और 11 अअ के उपबंध उक्त वसूली के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे,

17. जब्ती और शास्ति.- (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी उपबंधों के उल्लंघन में या दोषपूर्ण तरीके से निवेश के संबंध में सेनवेट प्रत्यय का उपयोग करता है या प्राप्त करता है, तब सभी माल जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति उत्पाद शुल्क की धारा 11 क ग की उपधारा (1) का खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) ऐसे मामले में, जहां निवेश के संबंध में केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय कपटपूर्वक, दुरभिसंधि या कोई गलत कथन, तथ्यों को छिपाना, या उत्पाद शुल्क अधिनियम के किसी प्रावधानों के उल्लंघन या इन नियमों के अधीन शुल्क संदत्त करने से बचने के आशय से दोषपूर्ण तरीके से उपभोग किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, तब विनिर्माता उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 क ग की उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ड.) के प्रावधानों के अंतर्गत शास्ति के लिए दायी होगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा उप नियम (1)और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए कोई भी आदेश प्राकृतिक न्याय से सिद्धांतों का अनुसरण करेगा ।

18. साधारण शास्ति.- जो भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए नियमों में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, तो वह पांच हजार रुपए तक की शास्ति के लिए दायी होगा ।

19. कतिपय प्रकार के मामलों में निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति.- इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग, उस दुरुपयोग की प्रकृति और प्रकार व ऐसे हीअन्य कारक जो सुसंगत है, को ध्यान में रखते हुए उसकी यह राय है कि इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, लोक हित में कतिपय उपायों का किया जाना आवश्यक है, जिसमें विनिर्माता रजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता पर प्रतिबंध लगाना सम्मिलित है, कराधेय सेवा के प्रथम चरण और द्वितीय चरण व्यवहारी को राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकेगा, विशिष्टितः प्रतिबंध की प्रकृति, केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय के उपभोग का निलबंन और आयातकर्ता के मामले

में रजिस्ट्रीकरण का निलंबन शामिल है या व्यवहारी और सुविधाओं को वापस लेना, या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का मुख्य आयुक्त, जैसा भी हो, द्वारा जारी किया गया कोई आदेश ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के उद्देश्यों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक प्रस्ताव भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्या 05/ 2012 सी ई (एन.टी), तारीख 12 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, वह एक विशिष्ट प्रक्रिया से प्रारंभ होगा और संख्या सा.का.नि. 140 (अ), तारीख 12 मार्च, 2012, जो लंबित है, इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा और उसके अनुसार निर्णीत किया जाएगा ।

20. अनुपूरक उपबंध :- (1) केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन कोई अधिसूचना, परिपत्र, अनुदेश, स्थायी आदेश, व्यापार सूचना या अन्य आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा, जारी किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का प्रधान मुख्य आयुक्त, या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का मुख्य आयुक्त, यथास्थिति, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी किए गए और वैध समझे गए, इन नियमों के विस्तार तक और संगत है, आरंभ से लागू होंगे ।

(2) केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में कोई नियम, अधिसूचना, परिपत्र, अनुदेश, स्थायी आदेश. व्यापार सूचना या अन्य आदेश का संदर्भ और उसका कोई उपबंध, इस नियम के आरंभ से केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर प्रत्यय नियम, 2017 और उसके अनुपूरक उपबंधों के संदर्भ से अर्थ लगाया जाएगा ।

[फ. सं. 267/22/2017-सीएक्स.8]

(रोहन)
अवर सचिव, भारत सरकार